संख्या–506 / 18–4–2018–18(विविध) / 17टी0सी0

प्रेषक,

पवन कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर आयुक्त,
निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–4 लखनऊ दिनांक 23मई,2018

विषय– "एक जनपद एक उत्पाद" योजना के क्रियान्वयन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–14 / ई0पी0बी0 / ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ / 2018–19, दिनांक 16.4.2018 एवं पत्र संख्या–42 / ई0पी0बी0 / ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ / 2018–19, दिनांक 10.5.2018 के संदर्भ में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–123 / 18–4–2018–18(विविध) / 17टी0सी0, दिनांक 25.01.2018 के बिन्दु संख्या–11 में त्रि–स्तरीय समिति के गठन को क्रियाशील किये जाने हेतु उक्त शासनादेश के अनुक्रम में निम्नानुसार समितियों का गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. (अ) जिला स्तरीय समिति

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3.	उप आयुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र	सदस्य / सचिव
4.	अग्रणी, जिला बैंक प्रबन्धक	सदस्य
5.	उप श्रम आयुक्त	सदस्य
6.	जिला समन्वयक, उ.प्र. कौशल विकास मिशन	सदस्य
7.	सम्बन्धित उत्पाद से जुड़े निर्यातक / उद्यमी / शिल्पी / श्रमिक / औद्योगिक संगठन के 7 सदस्य (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य
8	खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारी	सदस्य
9.	सहायक निदेशक, हथकरघा / रेशम / खादी ग्रामोद्योग	सदस्य
10	प्रमुख औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि जो जिला उद्योग बन्धु के सदस्य हों।	सदस्य

उपर्युक्त समिति योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगी। जिला स्तर पर उत्पाद का चयन एवं उसके विकास की कार्य योजना से सम्बन्धित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जिसमें उत्पाद विशेष के विकास हेतु वर्तमान स्तर गैप्स आईडेन्टीफिकेशन, आवश्यकताओं का चिन्हांकन, अपेक्षित परिणाम का उल्लेख हो, को परीक्षण कर

ek janapad ek utpaad 18 vividh 17TC

टी0सी0(D)
ODOP Cell
28/5/18

कार्य–योजना के सम्बंध में अपनी सहमति ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ लखनऊ को करेगी। उपर्युक्त समिति कार्ययोजना के परीक्षणेपरान्त संतुष्ट होने के साथ संस्तुति "प्रदेश स्तरीय स्क्रीनिंग समिति" को प्रेषित करेगी। संस्तुति के अनुमोदनो यह समिति क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी होगी।

समिति की बैठक प्रत्येक माह होगी।

ब–प्रदेश स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी

जिला स्तरीय समिति की प्राप्त संस्तुतियों का परीक्षण कर ओ0डी0ओ0डी0 प्रकोष्ठ द्वारा अवस्थापना सुविधाओं तथा वित्तीय एवं तकनीकी प्रोत्साहनों से जुड़े प्रस्तावों पर विचार करने हेतु प्रदेश स्तरीय स्क्रीनिंग समिति निम्नानुसार गठित की जाती है :–

1	आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0	अध्यक्ष
2	अपर आयुक्त, उद्योग–योजनाधिकारी–एक जनपद–एक उत्पाद योजनाधिकारी सम्प्रति अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल	सदस्य / सचिव
3	अपर आयुक्त उद्योग (हस्तशिल्प) उद्योग निदेशालय, कानपुर	सदस्य
4	निदेशक, यू.पी. इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाईन, लखनऊ	सदस्य
5	प्रबन्ध निदेशक, यू.पी. हस्तशिल्प विपणन निगम, लखनऊ	सदस्य
6	मिशन निदेशक, उ.प्र. कौशल विकास मिशन, लखनऊ	सदस्य
7	निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य
8	आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ	सदस्य
9	निदेशक, हथकरघा, उ0प्र0, कानपुर	सदस्य
10	निदेशक, संस्थागत वित्त विभाग, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी एव ग्रामोद्योग, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य
12	संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (महाप्रबंधक, बैंक आफ	सदस्य

उक्त समिति जिला स्तरीय समिति से प्राप्त प्रस्तावों / परियोजनाओं का परीक्षण कर उत्पाद के विकास हेतु कार्य–योजना तथा बजट की मांग सहित संस्तुति उच्च स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेगी।

उपरोक्त समिति की बैठक प्रत्येक दो माह में एक बार होगी।

स–उच्च स्तरीय समिति

प्रदेश स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर शासन स्तर पर अवस्थापना सुविधाओं के वित्तीय एवं तकनीकी प्रोत्साहनों से सम्बन्धित प्रस्तावों पर विचार एवं अनुमोदन हेतु निम्नानुसार उच्च स्तरीय समिति गठित की जाती है :–

1	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन	सदस्य / सचिव
3	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, नियोजन	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, हथकरघा	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, खाद्य प्रसंस्करण	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, कृषि	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग	सदस्य
10	सचिव, कौशल विकास मिशन	सदस्य
11	निदेशक, संस्थागत वित्त विभाग, उ0प्र0	सदस्य
12	महाप्रबंधक, बैंक आफ बड़ौदा, / संयोजक, राज्य स्तरीय	सदस्य
13	महाप्रबंधक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,(SIDBI)	सदस्य

उक्त समिति "एक जनपद एक उत्पाद" की योजना की प्रगति की समीक्षा करेगी एवं आवश्यक निर्देश निर्गत करेगी तथा बजट एवं परियोजना की स्वीकृति प्रदान करेगी।

उपरोक्त समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित होगी।

2. योजना के कियान्वयन हेतु प्रकोष्ठ में निम्नलिखित अधिकारियों / कर्मचारियों की तैनाती की जायेगी :–

क0सं0	पद नाम	संख्या	वर्तमान स्थिति	आवश्यकता
1	अपर आयुक्त	01	कार्यरत	–
2	संयुक्त आयुक्त	01	–	वांछित

ek janapad ek utpaad 18 vividh 17TC

Scanned by CamScanner

3.	उप आयुक्त	02	—	वांछित
4.	सहायक आयुक्त	02	01 कार्यरत	1 वांछित
5.	अपर सांख्यकीय अधिकारी	02	01 कार्यरत	1 वांछित
6.	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक	02	—	वांछित
7.	कम्प्यूटर आपरेटर	03	—	वांछित/आउट सोर्सिंग के माध्यम से
8.	परिचर	03	—	वांछित/आउट सोर्सिंग के माध्यम से

योजना के कियान्वयन में यथाआवश्यकता अनुभवी तथा उपयोगी सेवानिवृत्त विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों तथा प्रतिनियुक्ति/आउटसोर्सिंग/परामर्शदाता/सलाहकार (Consultants) संस्थाओं से कार्यानुरूप निर्धारित समयावधि तक सेवायें ली जा सकेंगी।

3. कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या–506/18–4–2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही को सूचनार्थ :–

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, हथकरघा उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उ0प्र0 शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि, उ0प्र0 शासन।
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति उ0प्र0 शासन।
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग उ0प्र0 शासन।
10. सचिव, कौशल विकास मिशन उ0प्र0 शासन।
11. निदेशक, संस्थागत वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. महाप्रबंधक, बैंक आफ बड़ौदा/संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
13. महाप्रबंधक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,(SIDBI)।
14. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0। Email
15. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

ek janapad ek utpaad 18 vividh 17TC